राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी, कार्यालय, पुणे

डॉ. पी. एस. पवार (एम.एस.)
उपसंचालक
तथा
उपमुख्य निबंधक जन्म व मृत्यु
महाराष्ट्र राज्य

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६०५८७४७ (वै.)
०२०-२६०५५५३० (का.)
फॅक्स क्रमांक : ०२०-२६०५८२९२
तार : जन्ममृत्यु
इ-मेल : crs_d83@yahoo.com
डॉ.नायडू रुग्णालय आवार, केनेडी रोड,पुणे-१


जा.क्र.आमाजीआ/कक्ष-८३/मृत्यु नोंदणीबाबत/10417-10451 /२०१३, दिनांक 25 सप्टेंबर २०१३

प्रति ,
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
तथा जिल्हा निबंधक, जन्म-मृत्यु,
जिल्हा परिषद, ..............(सर्व)

कार्यकारी आरोग्य अधिकारी
तथा निबंधक, जन्म-मृत्यु,
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, परेल,
मुंबई.

विषय :- उत्तराखंड येथील माहे जुन २०१३ मधील नैसर्गीक आपत्तीमध्ये गहाळ झालेल्या व्यक्तिंची मृत्यु नोंदणीबाबत प्रक्रिया.

संदर्भ - भारताचे महानिबंधक यांचे पत्र क्रं.१/२/उत्तराखंड/ २०११-व्हीएस-सीआरएस/७६७, दिनांक ०६/०९/२०१३.

उत्तराखंड येथे माहे जुन २०१३ नैसर्गीक आपत्ती ओढवून ब-याच नागरीकांचा मृत्यु झाला अथवा ते गहाळ झाले. या संदर्भात तीन वेगवेगळया ठिकाणच्या रहिवाशांसाठी तीन प्रक्रिया निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये इतर राज्याच्या रहिवाशांसाठी प्रक्रिया क्रं.३ मध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेली आहे. त्याची प्रत सोबत जोडली आहे.

तेव्हा सदरील परिपत्रक आपले अधिनस्त सर्व निबंधकांना वितरीत करण्यात यावे व वरील नैसर्गीक आपत्तीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील त्यांचे कार्यक्षेत्रातील नागरीक बेपत्ता/गहाळ झाले असल्यास त्यांचे नातेवाईकांना ही प्रक्रिया समजावून सांगण्यात यावी. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अशा नागरीकांची मृत्युची नोंद ही बेपत्ता/गहाळ झाल्याचे ठिकाणीच होणार आहे. याची कल्पना त्यांना देण्यात यावी.

उपसंचालक आरोग्य सेवा
तथा उपमुख्य निबंधक जन्म व मृत्यु
महाराष्ट्र राज्य पुणे -१

प्रत माहितीस्तव सादर :- मा.संचालक आरोग्य सेवा तथा मुख्य निबंधक जन्म व मृत्यु, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना माहितीस्तव

E:\83\ORGI.doc

स्पीड पोस्ट

हिंदी रूपांतर

सं.1/2/(उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस) / 767

उपसंचालक
आरोग्य सेवा (आ.मा.जी.आ.)
आवक क्रमांक ...5824...
568-
दिनांक :- 16
शाखा :- ........कार्य विवरण पत्र, .........
अधिक्षक
प्रशासकीय अधिकारी उपसंचालक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली – 110066

दूरभाष-फैक्स: 26104012 E-mail-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 06-09-2013

## परिपत्र

**विषय: उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों मे लापता व्यक्तियों की मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रक्रिया ।**

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाले उत्तराखंड संबंधी अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने 02.08.2013 को आयोजित अपनी बैठक में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से उत्तराखंड तथा अन्य राज्यों के लापता व्यक्तियों के मामले में यथोचित जांच-पड़ताल करने के पश्चात मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में एक मानक प्रक्रिया तैयार करने का अनुरोध किया है । तदनुसार, जन्म-मृत्यु से संबंधित मुख्य रजिस्ट्रारों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया सूचित की जा रही है ।

2. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 7(2) के प्रावधान के अनुसार जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण जन्म और मृत्यु के होने के स्थान पर ही किया जाता है । सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 में उल्लिखित व्यक्तियों से रिपोर्टें प्राप्त होने पर ही किया जाता है । तथापि, उत्तराखंड जैसे असाधारण मामलों में लोक सेवकों से प्राप्त रिपोर्टों को यथोचित जांच के पश्चात मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है ।

3. जहां तक उन व्यक्तियों का संबंध है जिनके मृत शरीर प्राप्त हुए हैं, उनके लिए यह कहना आवश्यक नहीं है कि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की सामान्य प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाए ।

4. ऐसे लापता व्यक्तियों, जिनकी मृत्यु की पूर्ण संभावना है किन्तु मृत शरीर नहीं मिल पा रहा है, उनके उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में मृत होने की संभावना के निर्धारण के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास किए जाने चाहिए । इस संबंध में जांच- पड़ताल की निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए:

**प्रक्रिया**

लापता व्यक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

(i) इस त्रासदी के दौरान बाढ़ प्रभावित गांवों में मौजूद बाढ़ प्रभावित गांवों के स्थाई निवासी तथा उत्तराखंड के आस-पास के गांवों के स्थाई निवासी ।

(ii) इस त्रासदी के दौरान बाढ़ प्रभावित गांवों में मौजूद उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासी ।

(iii) इस त्रासदी के दौरान बाढ़ प्रभावित गांवों में मौजूद अन्य राज्यों के पर्यटक ।

**इस त्रासदी के समय बाढ़ प्रभावित गांवों में मौजूद बाढ़ प्रभावित गांवों के स्थाई निवासियों तथा उत्तराखंड के आस-पास के गांवों के स्थाई निवासियों के मामले में अनुसरित की जाने वाले प्रक्रिया ।**

1. लापता और मृत मान लिए गए व्यक्ति के निवास के स्थान पर उसके सगे संबंधियों अथवा निकटतम संबंधियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए ।
2. यह प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने को भेजी जानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति लापता हुआ था । 'गुमशुदगी' के संबंध में निकटतम संबंधी द्वारा नोटरीकृत शपथपत्र फाइल कराया जाना चाहिए और इसे स्थाई रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए ।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट, पुलिस थाने की रिपोर्ट और पहचान संबंधी अन्य सहायक दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक इत्यादि उत्तराखंड में संबंधित क्षेत्र के नामोद्दिष्ट अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम) को भेजी जानी चाहिए ।
4. नामोद्दिष्ट अधिकारी को लापता व्यक्ति के संबंध में विस्तृत जांच-पड़ताल करनी चाहिए ।
5. ऊपर उल्लिखित जांच-पड़ताल के आधार पर उत्तराखंड के नामोद्दिष्ट अधिकारी को मृत्यु के अनन्तिम अनुमान के संबंध में एक व्याख्यात्मक आदेश जारी करना चाहिए ।
6. इसके पश्चात नामोद्दिष्ट अधिकारी को अनन्तिम रूप से मृत मान लिए गए लापता व्यक्तियों की सूची को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के प्रयोजन से अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों एवं सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहिए तथा इसे सरकारी वेबसासइट पर भी डालना चाहिए।
7. दावे और आपत्तियां 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए ।
8. यदि निश्चित अवधि के भीतर कोई दावा अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाना चाहिए ।
9. यह मृत्यु प्रमाणपत्र निकटतम सम्बन्धी को नि:शुल्क रूप से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए । यह मृत्यु प्रमाणपत्र उस पुलिस थाने को भी भेजा जाना चाहिए जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी ।

10. दावों और आपत्तियों के मामले में नामोद्दिष्ट अधिकारी के तात्कालिक वरिष्ठ अधिकारी (जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है) के पास एक अपील की जाएगी । अपील पर कार्रवाई के पश्चात, नामोद्दिष्ट अधिकारी को व्याख्यात्मक आदेश भेजे जाने चाहिए जिसके आधार पर वह मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने अथवा इसे अस्वीकार करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा ।

**त्रासदी के दौरान बाढ़ प्रभावित गांवों में मौजूद उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासियों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया**

1. मूल जिले में निवास के स्थान पर सगे संबंधी अथवा निकटतम संबंधी द्वारा 'प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट' दर्ज की जानी चाहिए ।
2. यदि उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट पहले से दर्ज की जा चुकी है, तो नामोद्दिष्ट अधिकारी को इसे लापता व्यक्ति के मूल जिले में उसके सामान्य निवास के स्थान पर नामोद्दिष्ट अधिकारी/थाना प्रभारी को स्थानीय स्तर पर जांच के लिए अग्रेषित करनी चाहिए ।
3. 'लापता' के संबंध में निकटतम संबंधी द्वारा नोटरीकृत शपथ-पत्र फाइल किया जाना चाहिए और उसे स्थायी रिकार्ड के रूप रखा जाना चाहिए ।
4. मूल जिले के जांच अधिकारी को निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करने के लिए जांच पड़ताल करनी चाहिए -

(क) कि संबंधित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों अथवा संबंधियों अथवा मित्रों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट ठीक समय (30 जून, 2013 से पहले) पर दर्ज की है । यदि यह इस समय सीमा के बाद की गई है तो पुलिस के पास देरी से जाने के कारणों की जांच-पड़ताल की जानी चाहिए ।

(ख) कि संबंधित व्यक्ति 16 जून, 2013 से पहले उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में गया था ।

(ग) कि व्यक्ति प्रभावित जिले के लिए प्रस्थान करने के बाद लापता हुआ है ।

(घ) जांच रिपोर्ट उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के संबंधित नामोद्दिष्ट अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

5. मूल जिले में अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर, उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के नामोद्दिष्ट अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा देहरादून में लापता व्यक्ति प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित लापता व्यक्तियों के डाटाबेस को देखकर संबंधित व्यक्तियों के गायब होने के तथ्य की अनुवर्ती रूप से जांच-पड़ताल करनी चाहिए । उसे व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं से प्राप्त, अन्तिम कॉल डाटा और अन्य संगत डाटा एवं यदि कोई गवाह है तो उसके बयान सहित सभी उपलब्ध सूचना को भी ध्यान में रखना चाहिए । व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या नहीं, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी उपलब्ध सबूतों पर विचार किया जाना चाहिए । इसमें पुलिस रिपोर्ट, राहत शिविरों में की गई जांच-पड़ताल और सगे संबंधियों/निकटतम संबंधियों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र को शामिल किया जाना चाहिए ।

6. उपर्युक्त उल्लिखित जांच के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों का नामोद्दिष्ट अधिकारी मृत्यु की अनंतिम संभावना के संबंध में व्याख्यात्मक आदेश जारी करेगा । इस आदेश को मूल जिले के नामोद्दिष्ट अधिकारी को संप्रेषित किया जाना चाहिए ।

7. ऐसे आदेश की प्राप्ति पर, मूल जिले के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा मृत मान लिए गए लापता व्यक्तियों की सूची को हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र एवं सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहिए और दावों तथा आपत्तियों के प्रयोजन से उसे सरकारी वेबसाइट पर भी डाल देना चाहिए ।

8. दावे और आपत्तियां 30 दिनों के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए ।

9. यदि समयावधि के भीतर कोई दावे और आपत्तियां प्राप्त नहीं होती हैं तो मूल जिले के नामोद्दिष्ट अधिकारी को उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के नामोद्दिष्ट अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए ।

10. इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए ।

11. यह मृत्यु प्रमाणपत्र निकटतम संबंधी को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए । मृत्यु प्रमाणपत्र उस थाने को जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज की गई है और मूल जिले में नामोद्दिष्ट अधिकारी को भी भेजा जाना चाहिए ।

12. दावों और आपत्तियों के मामले में, नामोद्दिष्ट अधिकारी (जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है) के तात्कालिक रूप से वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील की जाएगी । अपील पर कार्रवाई के पश्चात उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के नामोद्दिष्ट अधिकारी को व्याख्यात्मक आदेश भेजे जाने चाहिए ताकि इसके पश्चात वह मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने अथवा अस्वीकार करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा ।

**त्रासदी के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उपस्थित अन्य राज्यों के पर्यटकों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ।**

1. मूल राज्य में निवास के स्थान पर सगे संबंधी अथवा निकटतम संबंधी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए ।

2. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट पहले ही उत्तराखंड में दर्ज की जा चुकी है तो उसे लापता व्यक्ति के मूल राज्य में सामान्य निवास के स्थान पर नामोद्दिष्ट अधिकारी/थाने के थाना प्रभारी को स्थानीय जांच के लिए भेज देना चाहिए ।

3. 'लापता' के संबंध में निकटतम संबधी द्वारी नोटरीकृत शपथ-पत्र फाइल किया जाना चाहिए और उसे स्थायी रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए ।

4. मूल राज्य के जांच अधिकारी को निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करने के लिए जांच करनी चाहिए:

(क) कि परिवार के सदस्यों अथवा संबंधियों अथवा मित्रों ने संबंधित व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट ठीक समय (30 जून, 2013 से पहले) पर दर्ज की है । यदि यह इस समय सीमा के बाद दर्ज की गई है तो पुलिस के पास देरी से जाने के कारणों की जांच की जानी चाहिए ।

(ख) कि संबंधित व्यक्ति 16 जून, 2013 से पहले उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा पर गया था ।

(ग) उत्तराखंड के लिए रवाना होने के बाद व्यक्ति लापता है इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए जांच अधिकारी को चाहिए कि वह नई दिल्ली में मूल राज्य सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखे गए डाटाबेस से जांच करे अथवा राज्य सरकार के उन प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क करे जिन्होंने उनके राज्यों के लापता लोगों के बारे में पूछताछ करने के लिए देहरादून में जून, 2013 के दौरान कैंप लगाया था ।

(घ) जांच रिपोर्ट उत्तराखंड में संबंधित नामोद्दिष्ट अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

5. उत्तराखंड में नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा मूल राज्य के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के लापता होने के बारे में आगे का जांच कार्य राज्य सरकार द्वारा देहरादून में बनाए गए लापता व्यक्ति प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित लापता लोगों के डाटाबेस में देखकर किया जाना चाहिए । व्यक्ति की मृत्यु के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी को प्रत्यक्षदर्शी के बयान, यदि कोई हो, और मोबाइल सर्विस प्रदाता से व्यक्ति की अंतिम कॉल और मोबाइल से संबंधित अन्य संगत डाटा सहित उपलब्ध समस्त जानकारी का उपयोग करना चाहिए । व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या नहीं इस बात का निर्णय करने के लिए सभी उपलब्ध प्रमाणों पर विचार करना चाहिए । इसमें पुलिस रिपोर्ट, राहत शिविरों से पूछताछ और सगे संबंधियों/निकटतम संबंधियों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र शामिल हो सकते हैं ।

6. उपर्युक्त विस्तृत जांच के आधार पर उत्तराखंड का नामोद्दिष्ट अधिकारी अस्थायी रूप से मृत माने जाने के संबंध में व्याख्यात्मक आदेश जारी कर सकता है । इस आदेश को मूल राज्य के नामोद्दिष्ट अधिकारी को भेजा जाना चाहिए ।

7. इस आदेश की प्राप्ति पर संबंधित राज्य के नामोद्दिष्ट अधिकारी को मृत मान लिए गए लापता व्यक्तियों की सूची राज्य की स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी में समाचार पत्रों, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहिए और इस सूची को दावों अथवा आपत्तियों के प्रयोजन से सरकारी वेबसाइट में भी डाल देना चाहिए ।

8. दावे और आपत्तियां 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए ।

9. यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित राज्य के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट उत्तराखंड के नामोद्दिष्ट अधिकारी को भेज दी जानी चाहिए ।

10. इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के पदनामित अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए ।

11. निकटतम संबंधियों को मृत्यु प्रमाणपत्र नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए । मृत्यु प्रमाणपत्र उस पुलिस थाने, जहां एफआईआर/लापता व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी और संबंधित राज्य के नामोद्दिष्ट अधिकारी को भी भेजा जाना चाहिए ।

12. दावों और आपत्तियों की स्थिति में, पदनामित अधिकारी से तात्कालिक रूप से अधिकारी (जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है) के पास एक अपील की जाएगी । अपील पर कार्रवाई करने के बाद उत्तराखंड के नामोद्दिष्ट अधिकारी को व्याख्यात्मक आदेश भेजा जाना होगा जोकि इसके पश्चात मृत्यु होने का प्रमाणपत्र जारी करने अथवा इसे अस्वीकार करने के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा ।

4. इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए उत्तराखंड के नामोद्दिष्ट अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम) को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 7(1) के अंतर्गत मृत्यु रजिस्ट्रार घोषित किया जाएगा । उपर्युक्त सभी मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण आरबीडी अधिनियम की धारा 7(2) के प्रावधान के अनुसार मृत्यु होने के स्थान/मृत मान लिए जाने वाले स्थान पर किया जाए ।

पी.ए. मिनी
6/9/13

**(पी.ए.मिनी)**
**उप महारजिस्ट्रार ( सीआरएस )**

**सेवा में,**
**मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु**

हिन्दी अनुवाद

भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली – 110011
2/A, Man Singh Road New Delhi – 110011

सं.1/12/2014-वीएस-(सीआरएस)/806

दिनांक: 31 जुलाई, 2015

**परिपत्र**

MIS

विषय: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

आरोग्य से... आवक शाखा ... दि. ... आवक क्र ...

1. जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए संगत नियमों के तहत किया जाता है । यह कार्यालय राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु, के कार्याकलापों के समन्वयं और एकीकरण के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकरण है । वर्ष 2020 तक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सर्वव्यापी बनाने के लिए भारत ने अभी हाल ही में महत्वाकांक्षी 'विजन 2020' की घोषणा की है । उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यालय ने अनेक पहल की हैं ।

2. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के 46 वर्षों के पश्चात भी भारत आज इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जन्म और मृत्यु के संबध में लगभग 16 और 30 प्रतिशत मामलों का पंजीकरण नहीं हो रहा है । आदर्श रूप से देखा जाए तो जन्म प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का जीवन समाप्त होने का प्रमाणपत्र होता है । जन्म और मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टयां सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा, 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं । ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु, जैसा भी मामला हो, के संदर्भ में निष्कर्षी (अंतिम) साक्ष्य होती हैं । इन प्रविष्टियों के आधार पर आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 12 और 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु संबंधी उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं तथा ये उस प्रविष्टि से संबंधित व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु को प्रमाणित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाणपत्र विधिक दस्तावेज होता है ।

3. यह कार्यालय अपेक्षा करता है कि आपके कार्यालय द्वारा जनता को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ा जाना चाहिए जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता बढ़ेगी । इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का राष्ट्रीय स्तर स्वतः ही संपूर्ण पंजीकरण की ओर बढ़ेगा ।

1/1/16

4. इसलिए संबंधित प्राधिकारियों को उनके द्वारा दी जाने वाली निम्न सरकारी लाभकारी सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ने के लिए निदेश दिए जाएं:

- मातृत्व लाभ योजनाएं और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई),
- टीकाकरण कार्डों में जन्म का पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं, को दर्शाने वाले कालम को शामिल करना,
- स्कूल मे प्रवेश,
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर में बच्चे का नाम शामिल करना,
- सरकारी और गैर सरकारी सेवा में प्रविष्टि और सेवा पुस्तिका का रखरखाव,
- मतदाता सूची/रोजगार कार्यालय में नाम शामिल करना,
- पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना,
- आधार/एनपीआर पंजीकरण,
- विवाह और तलाक/संबंध विच्छेद पंजीकरण,
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर से नाम हटाना,
- उत्तराधिकार के मुद्दों के निपटान के संबंध में,
- बीमा दावों के निपटान के संबंध में,
- पारवारिक पेंशन के निपटान के संबंध में,

5. आपसे अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सेवाओं/स्कीमों के संबंध में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास प्रारम्भ करें । इस संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी इस कार्यालय को भी दी जाए ।

ह०

(च.चन्द्रमौलि)
अपर सचिव तथा
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

सेवा में,

1. विदेश मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के सचिव ।
2. सभी मुख्य/उप मुख्य/अपर मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु ।
3. सभी जीवन बीमा कंपनियों के प्रमुख (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियां) ।
4. सभी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ।
5. सभी राज्य परिवहन प्राधिकरण ।
6. भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ।

अग्रेषित/आज्ञा से

राजकुमार गौतम

(आर.के.गौतम)
उप महारजिस्ट्रार